

नरेन्द्रसिंह पुत्र डालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बावडी तहसील खण्डेला जिला सीकर।  
अपीलान्त

बनाम

- 1 नायब तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.09.2016 न्यायालय नायब  
तहसीलदार खण्डेला मु.न. 04/2016 प्रकरण अनुवानी  
सरकार बनाम नरेन्द्रसिंह आदि

वकील अपीलांट श्री प्रभातीलाल

निर्णय


दिनांक:-29.12.2017

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम बावडी तहसील खण्डेला के  
हल्का पटवारी ने दिनांक 24.06.2016 को तहसीलदार खण्डेला के समक्ष रिपोर्ट इस आशय  
की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने ग्राम बावडी के खसरा नम्बर 783 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.  
मु. रास्ता पर जुताई करके पुनः कब्जा कर लिया। उक्त रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने  
दिनांक 15.07.2016 को धारा 91 जेण्ड एबन्ध एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15.09.  
2016 को बिना किसी बन्धन बिना साक्ष्य सबूत के चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर अपीलांट  
को धारा 91(2) एल आर एक्ट के तहत तीन माह का साधारण कारावास एवं लगान का 50  
गुणा शास्ती लगाने से दण्डित कर दिया। उक्त विवादित आराजियात की भूमि पर अपीलांट  
ने कभी भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि राष्ट्रीय  
राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण के पूर्व ग्राम बावडी के खसरा नम्बर 778 रकबा 0.23 है0,  
खसरा नम्बर 783 रकबा 0.21 है0 बाराणी तृतीय, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.56 है0,  
खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.62 है0 रास्ता रहा है परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 का  
निर्माण इस खसरा नम्बर 778, 783, 1290, 1494 की भूमि को छोड़कर किया गया, जिससे  
आवागमन उक्त रास्ते को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग से होने लग गया एवं उक्त रास्ता से  
आवागमन स्वतः ही बन्द हो गया। आवागमन बन्द होने से रास्ते के निशानात धीरे-धीरे  
समाप्त हो गये। उक्त भूमे राजस्व रिकार्ड में गे.मु. रास्ता एवं बाराणी तृतीय होकर सरकारी  
भूमि दर्ज है। उक्त रास्ता आवागमन के अभाव में स्वतः ही बन्द होने के कारण ट्रेक्टर  
चलाकर धारा-फूस एवं खेत उमी पेडा को हटाकर रास्ते का रूप दिया था परन्तु  
आवागमन नहीं होने के कारण इन भूमियों की स्थिति पूर्व के अनुसार ही वापस हो गई।  
अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला ने पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट का  
पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर तीन माह के साधारण कारावास की सजा का निर्णय पारित  
कर दिया परन्तु योग्य न्यायालय ने नतीजा मौके पर जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की  
जांच की, ना ही साक्ष्य लेखबद्ध की एवं ना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर  
दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर कानूनी  
भूल की है, क्योंकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण मान्य किया जाने के लिए यह आवश्यक है कि-  
पूर्व में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया गया हो और उस अतिक्रमी का कब्जा हटा दिया  
हो। तत्पश्चात उसने पुनः कब्जा किया हो। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त  
निर्णय में पूर्व पत्रावली का सन्दर्भ मात्र दिया है परन्तु साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं था कि

अपीलांट ने काश्त करके पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का वाके ग्राम बावडी की भूमि खसरा नम्बर 783 पर कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं है, ना ही पूर्व में अतिक्रमण किया था एवं उक्त भूमि के किसी भी भू-भाग पर अतिक्रमण नहीं करूंगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2012 द्वारा अपीलांट को खसरा नम्बर 783 वाके ग्राम बावडी में से 0.06 है० की भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में वेदखल किये जाने हेतु आदेश पारित किया था एवं अब पुनः अतिक्रमण करने पर चुनौतिग्रस्त आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट गे.मु. रास्ते की भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अपीलांट वाके ग्राम बावडी की भूमि खसरा नम्बर 783 के किसी भी भू-भाग पर अतिक्रमण नहीं करने के सम्बंध में प्रस्तुत किया है। तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 के अनुसार मोके पर से उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आशिके रु० से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सिविल काशवास की सजा निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर  
अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official